संख्या:1096/ 77-6-15-02(बजट)/ 15

प्रेषक,

कंचन वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,
उद्योग निदेशालय,
उ.प्र., कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ:दिनांक 15 सितम्बर, 2015

विषयः निजी भूमि क्रय के सापेक्ष फूड प्रोसेसिंग इकाई स्थापना हेतु मेसर्स अम्बे एग्रो फूड्स प्राइवेट लि0 बागपत द्वारा भुगतान किए गए स्टाम्प शुल्क के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उद्योग निदेशालय, उ.प्र. कानपुर के पत्र संख्या-02/ औ0आ0 अनु0-11/ 2014-15 दिनांक01-04-2015 सपठित पत्रांक 101/ वित्त-4/ स्टाम्प शु0प्र0/ 2015-16 दिनांक 14-05-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें यह अवगत कराया गया है कि कर एवं निबन्धन विभाग के शासनादेश संख्या-क0नि0-7-79/ 11-2012-312(98)/ 2012 दिनांक 05-12-2012 में फूड प्रोसेसिंग इकाई को अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के पैरा-5.1.1 के अन्तर्गत शत-प्रतिशत स्टाम्प शुल्क छूट तथा प्रस्तर-5.1.2 के अनुसार निजी क्षेत्र से भूमि क्रय करने की सुविधा प्रदान की गयी है। तत्क्रम में औद्योगिक विकास विभाग के शासनादेश संख्या-141/ 77-6-13-15(एम)/ 05, दिनांक 04-06-2012 के पैरा-4(1) के अनुसार संबंधित इकाई- मेसर्स अम्बे एग्रो फूड्स प्रावइेट लि., बागपत द्वारा प्रयोजन की पूर्ति कर लेने पर भुगतान किये गये स्टाम्प शुल्क के समतुल्य धनराशि रु.80,57,000.00 की प्रतिपूर्ति किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के कार्यान्वयन हेतु सब्सिडी मद में चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में रु.17.50 करोड़ (रु0 सत्रह करोड़ पचास लाख मात्र) की बजट व्यवस्था की गयी है। उक्त धनराशि के सापेक्ष रु0 80,57,000.00 (रू0 अस्सी लाख सत्तावन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति के रूप में प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धो के अधीन निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) संबंधित औद्योगिक इकाई को उक्त सुविधा अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के प्राविधानो के अन्तर्गत दी जाएगी, अतः उक्त नीति के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग के माध्यम से संबंधित इकाई को नियमानुसार उपलब्ध करायी जाएगी। यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि संबंधित इकाई द्वारा वांछित स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

(2) आयुक्त एवं निदेशक उद्योग द्वारा वांछित धनराशि प्राप्त होने पर सम्बन्धित इकाई द्वारा भुगतान की गई स्टैम्प शुल्क के समतुल्य धनराशि का भुगतान सीधे इकाई के द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक खाते में आर.टी.जी.एस. के माध्यम से किया जायगा।

(3) इकाई द्वारा प्रमाणीकरण संस्था के साथ एक अनुबन्ध किया जायेगा जिसमें निर्धारित शर्तों का उल्लेख एवं निर्धारित अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने अथवा अवस्थापना सुविधा

http://shasanadesh.up.nic.in

से सम्बन्धित इकाईयों की दशा में वर्णित प्रयोजन की पूर्ति करने का आश्वासन होगा और उसमें विलम्ब की स्थिति में स्टैम्प ड्यूटी में देय छूट के समतुल्य धनराशि की बैंक गारण्टी को निबन्धन विभाग द्वारा भुनाकर धनराशि को निबन्धन विभाग के उपयुक्त लेखा शीर्षक में जमा कराये जाने की बाध्यता का उल्लेख होगा।

(4) निबंधन के पश्चात महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र निर्धारित अवधि में इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ न करने अथवा अवस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित इकाईयों की दशा में निर्धारित अवधि में प्रयोजन की पूर्ति न होने की स्थिति में 30 दिन के अन्दर इसकी सूचना महानिरीक्षक निबन्धन उ0प्र0 को उपलब्ध करायेगें तथा महानिरीक्षक निबन्धन बैंक गारंटी को भुनाकर धनराशि को निबन्धन विभाग के उपयुक्त लेखा शीर्षक में जमा कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करायेंगे ताकि छूट का दुरूपयोग न हो।

(5) स्वीकृत धनराशि का लेखा जोखा उद्योग निदेशालय, कानपुर द्वारा रखा जाएगा।

(6) स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(7) उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र आयुक्त एवं निदेशक उद्योग द्वारा शासन के औद्योगिक विकास विभाग (अनुभाग-6)/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 को उपलब्ध कराया जाएगा।

(8) उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में उद्योग विभाग की अनुदान संख्या-7 के आयोजनागत पक्ष में लेखा शीर्षक 2885 उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय (क्रमशः)-60-अन्य-800-अन्य व्यय-19-अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 का कार्यान्वयन-27 सब्सिडी के नामे डाला जाएगा।

भवदीया,

(कंचन वर्मा)
विशेष सचिव।

<u>संख्याः1096(1)/77-6-15-02(बजट)/15 तददिनांक</u>

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ.प्र., इलाहाबाद ।
2- मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर।
3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
5- नियोजन अनुभाग-1/4
6- स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग (अनुभाग-7)
7- औद्योगिक विकास अनुभाग-2
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कंचन वर्मा)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in